2015 का विधेयक संख्यांक 20.

[दि राइट टू फेयर कम्पनशेशन एंड ट्रांसपेरेनसी इन लैंड एक्यूजीशन रिहेवलीटेशन एंड रीसेटिलमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छयासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

5 (2) यह 31 दिसम्बर, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

संपूर्ण अधिनियम में कतिपय पदों का प्रतिस्थापन ।

2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, "प्राइवेट कंपनी" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं "प्राइवेट इकाई" शब्द रखे जाएंगे । 2013 का 30

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,--

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) में, "प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं और" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह भी कि धारा 10क में सूचीबद्ध परियोजनाओं और उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन को इस उपधारा के पहले परन्तुक के उपबंधों से छूट प्राप्त होगी ।" ।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(i) खंड (ञ) के उपखंड (i) में, "कंपनी अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1956 का 1 2013 का 18

(ii) खंड (म) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(मम) "प्राइवेट इकाई" से सरकारी इकाई या उपक्रम से भिन्न कोई इकाई अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई स्वत्वधीन, भागीदारी, कंपनी, निगम, अलाभकारी संगठन या अन्य इकाई भी है ।' ।

नए अध्याय 3क का अन्तःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"अध्याय 3क

अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों का कतिपय परियोजनाओं को लागू न होना

कतिपय परियोजनाओं को छूट देने की समुचित सरकार की शक्ति ।

10क. समुचित सरकार, लोक हित में, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित परियोजनाओं में से किन्हीं को इस अधिनियम के अध्याय 2 और अध्याय 3 के उपबंधों के लागू किए जाने से छूट प्रदान कर सकेगी, अर्थात् :--

(क) ऐसी परियोजनाएं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, इसके अन्तर्गत रक्षा की तैयारी ; या रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक हैं ;

(ख) ग्रामीण अवसंरचना जिसके अन्तर्गत विद्युतीकरण भी है ;

(ग) खर्च वहन करने योग्य आवास और निर्धन व्यक्तियों के लिए आवास ;

(घ) औद्योगिक कोरीडोर ; और

(ङ) अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाएं जिनके अन्तर्गत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के अधीन ऐसी परियोजनाएं भी हैं, जहा भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित बना रहता है ।" ।

धारा 24 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि इस उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में ऐसी किसी अवधि या अवधियों को, जिनके दौरान भूमि के अर्जन की कार्यवाहियां, किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी रोक या व्यादेश के कारण रोक दी गई थीं या कब्जा लेने के लिए किसी अधिकरण के अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट अवधि को या ऐसी अवधि को, जहां कब्जा ले लिया गया है किन्तु प्रतिकर न्यायालय में या इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित किसी खाते में जमा पड़ा हुआ है, अपवर्जित किया जाएगा ।" ।

धारा 46 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में, "से भिन्न कोई व्यक्ति आता है" शब्दों के स्थान पर, "आती है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 87 का प्रतिस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 87 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

सरकारी पदधारी द्वारा अपराध ।

"87. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो ऐसा अभिकथित अपराध किए जाने के समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में नियोजित है या था, वहां कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में उपबंधित रीति में समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से ही, करेगा अन्यथा नहीं ।" ।

1974 का 2

धारा 101 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 101 में, "पांच वर्ष की अवधि तक" शब्दों के स्थान पर, "किसी परियोजना के स्थापित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि तक या पांच वर्ष की अवधि तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो," शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 105 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 105 में,---

(i) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) पहली अनुसूची के अनुसार प्रतिकर के अवधारण, दूसरी अनुसूची के अनुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन और तीसरी अनुसूची के अनुसार अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्जन से संबंधित अधिनियमितियों को 1 जनवरी, 2015 से लागू होंगे ।";

(ii) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 113 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 113 की उपधारा (1) में,---

(i) "इस भाग के उपबंधों" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के उपबंधों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक में "दो वर्ष की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष की अवधि" शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

12. (1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनिमय द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम द्वारा की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम कहा गया है) भूमि के स्वामियों को और उक्त अधिनियम तथा चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट 13 अधिनियमों के अधीन, जिनमें संबंधित अधिनियमों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में उपबंध है, किए गए भूमि के अर्जनों से प्रभावित कुटुंबों को न्यायोचित और ऋजु प्रतिकर भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम की पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची में किए गए उपबंधों के निबंधनों के अनुसार देने के लिए अधिनियमित किया गया था । दूसरे शब्दों में, भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम में उपबंधित प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के फायदे को चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में अधीन किए गए भूमि अर्जन के मामलों में विस्तारित करने का प्रस्ताव है ।

2. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और केंद्रीय सरकार द्वारा, भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम के प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंधों को चौथी अनुसूची में वर्णित तेरह अधिनियमों को लागू करने और आगे के पैरा में दिए गए प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए तथा कतिपय अन्य संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित था, अतः, 31 दिसंबर, 2014 को एक अध्यादेश, अर्थात् भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का 9) प्रख्यापित किया गया था ।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा की तैयारी ओर रक्षा उत्पादन भी है, ग्रामीण अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्युतीकरण भी है, खर्च वहन करने योग्य आवास और गरीब व्यक्तियों के लिए आवास, औद्योगिक कोरीडोर, अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाएं, जिनके अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के अधीन ऐसी परियोजनाएं भी हैं, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित बना रहता है, जैसे सामरिक महत्व के और विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया जल्दी पूरी करने के उद्देश्य से, ऊपर उपबंधित मामलों के सिवाय अधिनियम में उपबंधित अर्जनों की दशा में भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन "सहमति" खंड को जारी रखने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, देश की समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने के लिए किसानों के कल्याण के रक्षोपायों के लिए, भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम के 'सामाजिक समाघात निर्धारण' और खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित उपबंधों से उन्हें छूट देने के लिए समुचित सरकार को, सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

4. भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम के अधीन लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किया जा सकेगा । देश में बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए 'लोक प्रयोजन' की परिधि में प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट शिक्षा संस्थानों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ।

5. 'कंपनी अधिनियम, 1956' के स्थान पर, 'कंपनी अधिनियम, 2013'

प्रतिस्थापित करके जहां 'कंपनी' शब्द को परिभाषित किया गया है, वहां पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है । इस समय, भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम के उपबंधों का विस्तार 'प्राइवेट कंपनी' तक है, जिसके द्वारा पब्लिक कंपनी, स्वत्वधारिता भागीदारी, अलाभकारी संगठन आदि जैसे अन्यों को अपवर्जित किया गया है । अतः, 'प्राइवेट कंपनी' पद के स्थान पर, 'प्राइवेट इकाई' पद प्रतिस्थापित करने और तदनुसार परिभाषित करने का प्रस्ताव है ।

6. इसमें भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना में ऐसी पूरी अवधि अर्थात् उस अवधि को, जिसके दौरान भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 से उद्भूत भूमि अर्जन की कार्यवाहियां, किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी रोक या व्यादेश के कारण रोक दी गई थीं या कब्जा लेने के लिए किसी अधिकरण के अधिनिर्णय में विनिर्दिष्ट अवधि को या ऐसी अवधि को, जहां कब्जा ले लिया गया है, किंतु प्रतिकर न्यायालय में या इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित किसी खाते में जमा पड़ा हुआ है, अपवर्जित करने का प्रस्ताव है ।

7. धारा 46 का उपांतरण करने का प्रस्ताव है जिससे गैर-सरकारी इकाइयों द्वारा प्राइवेट बातचीत के माध्यम से भूमि क्रय करने की दशा में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के फायदे भूस्वामियों के लिए उपलब्ध हो सकें ।

8. धारा 87 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी सरकारी पदधारी के विरुद्ध कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अनुसार की जा सके ।

9. धारा 101 का, जो अनुपयोजित भूमि वापस लिए जाने के बारे में है, ऐसी अवधि को, जिसके पश्चात् अनुपयोजित भूमि, भूमि स्वामी को या भूमि बैंक को प्रत्यावर्तित हो जाएगी, जो वर्तमान में 'पांच वर्ष' है, "किसी परियोजना के स्थापित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि तक या पांच वर्ष की अवधि तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो," बढ़ाने के लिए संशोधन किया जा रहा है ।

10. भूमि अर्जन में उचित प्रतिकर अधिनियम की धारा 113 में अनअवधानता से, 'अधिनियम' के स्थान पर, 'भाग' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका सुधार किए जाने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा रहा है ।

11. विधेयक, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का 9) को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
16 फरवरी, 2015.

बीरेन्द्र सिंह

उपाबंध

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 से उद्धरण

(2013 का अधिनियम संख्यांक 30)

* * * * * * *

2. (*1*) इस अधिनियम के भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार अपने स्वयं के उपयोग, अधिकार और नियंत्रण के लिए, जिसमें पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए हैं, और लोक प्रयोजन के लिए भी है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोजन भी हैं जिनके लिए, अर्थात्:— अधिनियम का लागू होना।

(क) * * * * *

(ख) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(i) भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (अवसंरचना अनुभाग) की तारीख 27 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 13/6/2009-आई॰एन॰एफ॰ में सूचीबद्ध सभी क्रियाकलाप या मदें, प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं और प्राइवेट होटलों को छोड़कर;

* * * * *

(2) इस अधिनियम के भूमि अर्जन, सहमति, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अर्थात्:—

* * * * * * *

परन्तु यह और कि सहमति अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया धारा 4 में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के साथ कार्यान्वित की जाएगी:

* * * *

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

* * * *

(ञ) "कंपनी" से अभिप्रेत है,—

1956 का 1 (i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी, जो सरकारी कंपनी से भिन्न हो ;

* * * * * * *

24. (1) * * * * कतिपय मामलों में 1894 के अधिनियम 1 के अधीन भूमि अर्जन की प्रक्रिया का व्यपगत हुआ समझा जाना।

1894 का 1 (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों की दशा में, जहां उक्त धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ के पांच वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूर्व किया गया है, किंतु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया हैं या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे व्यपगत हो गई है और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा विकल्प अपनाती है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियां नए सिरे से आरंभ करेगी :

परन्तु जहां अधिनिर्णय किया गया है और अधिकांश भू-धृतियों की बाबत प्रतिकर फायदाग्राहियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, वहां अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सभी फायदाग्राही उक्त भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर के हकदार होंगे।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उपबंधों का विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कतिपय व्यक्तियों की दशा में लागू होना।

46. (1) * * * * *

(6) यदि ऐसी कोई भूमि किसी व्यक्ति द्वारा 5 सितम्बर, 2011 को या उसके पश्चात् प्राइवेट बातचीत के माध्यम से क्रय की गई है, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी सीमाओं से अधिक है और यदि उसी भूमि का इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अर्जन किया जाता है, तो ऐसी अर्जित भूमि के लिए संदत्त प्रतिकर का चालीस प्रतिशत हिस्सा मूल भू-स्वामियों के साथ बांटा जाएगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) * * * * *

(ख) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" पद के अंतर्गत—

(i) समुचित सरकार;

(ii) सरकारी कंपनी;

(iii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा रजिस्ट्रीकृत ऐसा व्यक्ति-संगम, न्यास या सोसाइटी, जो पूर्णत: या भागत: या भागत: समुचित सरकार द्वारा सहायता पाती है या समुचित सरकार के नियंत्रणाधीन हैं,

से भिन्न कोई व्यक्ति आता है।

* * * * * * *

सरकारी विभागों द्वारा अपराध।

87. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभाग का प्रधान, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा:

परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभाग के प्रधान से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

* * * * * * *

अनुपयोजित भूमि का वापस किया जाना।

101. जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रहती है, तो उसे प्रत्यावर्तन द्वारा, यथास्थिति, मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या समुचित सरकार के भूमि बैंक, में ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, वापस किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "भूमि बैंक" से कोई ऐसी सरकारी इकाई अभिप्रेत है, जो सरकार के स्वामित्वाधीन की खाली, परित्यक्त, अनुपयोजित अर्जित भूमियों और कर-बकाया वाली संपत्तियों का उत्पादनकारी उपयोग में संपरिवर्तन करने पर ध्यान संकेन्द्रित करती है।

* * * * * *

105. (1) * * * * * * इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय दशाओं में लागू न होना या कतिपय उपांतरणों सहित लागू होना।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देगी कि पहली अनुसूची के अनुसार प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित इस अधिनियम के ऐसे कोई उपबंध जो प्रभावित कुटुंबों के लिए फायदाप्रद हों, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू होंगे या, यथास्थिति, ऐसे अपवादों या उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो प्रतिकर को कम नहीं करते हैं या इस अधिनियम के प्रतिकर या पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित ऐसे उपबंधों को क्षीण नहीं करते हैं, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना, प्रारूप रूप में संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व संसद् के दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी करने का अनुमोदन देने में सहमत न हों या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने में सहमत हों तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जैसे दोनों सदन सहमति दें।

* * * * * *

113. (1) यदि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

परंतु ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

* * * * * *

GMGIPMRND—4541LS—18-2-2015.